



राजस्थान RAJASTHAN

संविदा 9 JAN 2000

एम.एल. न. 06/04

00 7198

प्रधान खनिज

यह नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प राशि रुपये 1,000/- (एक हजार मात्र) खनन पट्टा खनिज क्वार्टज फैंसफार निकट ग्राम खाखा का गुड्डाहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द मे क्षेत्रफल 4.56 हैक्टर निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर के आदेश क्रमांक निखामू /राज-1/सीसी-1/प-1 (1) 6/04/196 दिनांक 24.01.08 द्वारा श्री अशोक जैन पुत्र श्री चन्दन मल जैन निवासी देवगढ मदारिया जिला राजसमन्द के पक्ष में संविदा पंजियन की तिथि से 30 वर्ष के लिये खनिज रियायत नियमावली 1960 एवं एम0 एम0डी0आर0 एक्ट 1957 तथा समय-समय पर होन वाले संशोधनानुसार संविदा की शर्तों एवं अनुबन्धों के अनुसार लागू होगा के तहत स्वीकृत किया गया है, यह स्टाम्प पेपर स्वीकृत खनन पट्टा की संविदा के साथ संलग्न है।

उक्त खनन पट्टा की अवधि संविदा पंजियन की तिथि से 30 वर्ष है, खनन पट्टे का वार्षिक स्थिर भाटक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) एक्ट 1957 की तृतीय अनुसूची के अनुसार एवं समय-समय पर संशोधन हो उसके अनुसार होगा, प्रतिभूति राशि रुपया 10,000/- अक्षरे रुपये दस हजार मात्र राज कोष मे एन.एस.सी. के रूप मे जमा है।

यह संविदा आज दिनांक 29/4/08 को पट्टेधारी एवं राज्य सरकार के मध्य निष्पादित किया गया।

गवाह नं. 1- 30/04/08 सिटि 570 कांममाण सिटि नि 59338 कुमु 34900
गवाह नं. 2- 30/04/08 सिटि 570 के.एन.ए. सिटि नि 42492 दिना 29/4/08

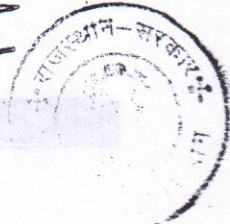
हस्ताक्षर पट्टाधारक



अनुमोदित
APPROVED

02
29/4/08

2690
अधीक्षण खनि. अधिन्यत
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
उदयपुर कृत उदयपुर (राज.)



ROVED

हृदय पंजीयक
जुहारा, जिला-राजसमन्द

(2006-07) ३५ पृष्ठिका, NATHDWARA
(mining lease & transfer of mining lease)

